FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना टूण्डला दिनांक 04-12-2024 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30-11-2024 को हत्या कर अधजली अवस्था में मिले शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त ओमप्रकाश आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

- **मृतक गुड्डू उर्फ उस्मान अली द्वारा मुख्य अभियुक्त ओमप्रकाश के भाई प्रमोद की (दोनों भाइयों में) आपस में मकान के विवाद के दौरान की गयी थी मदद......**
- **मृतक द्वारा मकान के विवाद के दौरान की गयी मदद और देख लेने की बात के चलते मुख्य अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा गुड्डू उर्फ उस्मान अली की हत्या की बनाई थी योजना ....**
- **मुख्य अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा अपने अन्य दो साथियों सोनू कुशवाह व दिनेश के साथ मिलकर गुड्डू उर्फ उस्मान अली की कर दी गयी थी हत्या।**
- **सुनियोजित तरीके से हत्या से पूर्व मृतक गुड्डू को ओमप्रकाश, सोनू कुशवाह व दिनेश तीनों ने शराब पिलाई थी एवं नशा होनें पर गुड्डू की कर दी गयी थी हत्या।**
- **मृतक की पहचान छुपाने के उद्देश्य से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गयी थी एवं अधजली अवस्था में छोड़कर हो गए थे मौके से फरार........**

दिनांक 30.11.2024 को सूचनाकर्ता श्री बीरेश यादव प्रधान पति ग्राम बन्ना थाना टूण्डला द्वारा सूचना दी गयी थी कि मौहम्मदाबाद से प्रतापपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण एवं थाना टूण्डला पुलिस मय फील्ड यूनिट टीम के मौके पर पहुँचे। मौके पर पाया कि एक नाम पता अज्ञात व्यक्ति का शव अधजली हालत में पडा हुआ है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किये गए जिसमें मृतक के भाई मौहम्मद वकील ने मृतक की पहचान कर बताया कि मृतक गुड्डु उर्फ उस्मान अली पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद मेरा भाई है। वादी मौ0 वकील पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना टूण्डला पर सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0 663/2024 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा हत्या के खुलासे हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया जिसमें ठोस पतारसी सुरागरसी के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03-12-2024 को समय 14.30 बजे बनकट रोड़ थाना टूण्डला से अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्ला को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईंट व 02 टूकडे खून लगे हुए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ –

गिरफ्तार अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला फिरोजाबाद द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब हम पाचं भाई हैं जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे पिताजी के नाम कोई जमीन नहीं है केवल एक मकान है जो गांव मौहम्मदाबाद रोड पर है जिसमें दो हिस्से हैं एक हिस्से में मेरा भाई प्रमोद व एक हिस्से में मैं रहता हूं। मकान के विवाद के समय गुड्डू ने हमारे भाई प्रमोद की मदद की थी और मुझ देख लेने की धमकी दी थी तभी से हमारे व गुड्डू के बीच तनातनी चली आ रही है। दिनेश शर्मा पुत्र राधेश्याम जब जेल से छूट के आया तो मैनें सोनू व दिनेश के साथ आपस में योजना बनाई कि गुड्डू आये दिन हम सभी को परेशान कर पकडवाने की धमकी देता रहता है इसका कोई ठीक से इलाज किया जाये तब सोनू ने मुझसे कहा कि तू किसी दिन गुड्डू को शराब की पार्टी करने को लेकर साथ लिवा ले आना और इसको शराब पिलाकर नशा होंने पर खत्म कर देंगे। इसी योजना के अनुसार दिनांक 29.11.2024 को समय करीब साढ़े बारह बजे दिन में सोनू ने दिनेश के नम्बर से फोन करके पूछा कि तू कहां पर है तो मैंने कहा कि हॉस्पीटल में हूँ। थोड़ी देर बाद सोनू मुझे अपने साथ लेकर एफएच की तरफ ले आया और मेरे मोबाइल से दिनेश का नम्बर लगाकर बात की फिर हम दोनों नगला महादेव कट आये जहां पर दिनेश मिला फिर हम तीनों बड़े चौराहा पर आये जहां से शाम 06.00 बजे के करीब सोनू ने मुझसे गुड्डू को कॉल कराया तो गुड्डू ने बताया कि मैं उसायनी हूं तब फिर हम तीनों उसायनी आये और पुनः गुड्डू को मैनें कॉल किया तो उसके कहा कि मैं उसायनी से वापस बड़ा चौराहा आ गया हूं तो मैनें कहा कि वहीं मिलना। उसायनी से हम तीनों बड़ा चौराहे पर आये जहां पर गुड्डू मिला फिर हम तीनों लोगों ने गुड्डू को शराब पिलाई और नशा होंने पर मीट खाने के लिए सब्जी मण्डी के पास होटल पर आये। वहां से हम चारों मोटर साइकिल से निहाल सिंह की पुलिया होते हुए प्रतापपुर से मोहम्मदाबाद जाने वाले कच्चे रास्ते पर आये और सिंघाड़े की पोखर के पास गुड्डू को हम तीनों पकड़ कर ले गये और वहीं पर पड़े तार से सोनू ने गुड्डू का गला कसकर पकड़ लिया और दिनेश ने अपने पास लिये हथियार से गुड्डू के गले पर वार किया और मैनें गुड्डू की सिर पर ईंट से वार किया तो गूड्डू वहीं पर गिर पड़ा फिर तीनों ने उसे पानी में पैर पकड़ कर डूबो दिया और थोड़ी देर बाद पानी से बाहर निकालकर दिनेश व सोनू ने उसके सारे कपड़े उतार दिये और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके ऊपर धान का फूस, लकड़ी, बोरा व तौलिया डालकर उस पर पैट्रोल छिड़ककर आग लगा कर जला दिया था। पहचान छुपाने के लिये गुड्डू के कपडों को दिनेश व सोनू अपने साथ ले गये उसके बाद मैं अपने घर चला आया और सोनू व दिनेश मोटर साइकिल से चले गये थे। साहब मैंने गुड्डू के सिर पर जो ईंट मारी थी वो मैनें वही पर छिपा दी थी जो मैने आपको बरामद करा दी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

नाम पता फरार अभियुक्तगण:-

1. सोनू कुशवाह पुत्र रमेश चन्द्र कुशवाह निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला फिरोजाबाद
2. दिनेश पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01अदद ईंट के 02 टुकड़े खून लगे हुए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अन्जीश कुमार सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री अमित तोमर प्रभारी सर्विलांस फिरोजाबाद मय सर्विलांस टीम।
3. निरीक्षक अपराध श्री कृष्ण स्वरुप पाल थाना टूण्डला फिरोजाबाद
4. है0का0 346 दिलीप कुमार, 5-है0का0 672 सुशील, 6-हे0का0 681 हरवेन्द्र सिंह थाना टूण्डला
5. का0 62 आशीष ठैनुआ थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद
6. हे0का0 चालक प्रेम सिहं थाना टूण्डला फिरोजाबाद